न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी

आई0ए0एस0

रैफरेन्स संख्या 02/2017

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

देवपाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील महवा जिला दौसा(फौत)

1. रतन लाल पुत्र बीरबल
2. प्यारेलाल पुत्र बीरबल

समस्त जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील महवा जिला दौसा

.. अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दि0 02.08.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम बदनपुरा तहसील महवा के आराजी खसरा नंबर 184 रकबा 1.54 है. जो कि मुताबिक खतौनी एकीकरण सं0त 2020 से 2036 में माफी मंदिर श्री सीतारामजी व एतमाम पुजारी मूल्यादास पुत्र छोटयादास जाति ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज होने से रैफरेन्स हेतु निवेदन किया।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि:–

1. प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) महवा आराजी खसरा नंबर 184 रकबा 1.54है. स्थित वाके ग्राम बदनपुरा तहसील महवा का भूमिधारी है।
2. उक्त रकबा मुताबिक सैटलमेंट खतौनी संवत 2050 से 2069 में देवपाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी उकरूंद खातेदार अंकित है।
3. मुताबिक जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में खाता सं0 20 में देवताओं संबंधित जोत देवपाल पुत्र बीरबल जाति मीना साकिन उकरूंद खातेदार अंकित है।
4. उक्त रकबा मुताबिक खतौनी एकीकरण संवत 2020 से 2036 में मंदिर माफी श्री सीतारामजी व एतमाम पुजारी मूल्यादास पुत्र छोटयादास जाति ब्राहमण निवासी उकरूंद की खातेदारी में दर्ज थी।
5. रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी को जरिये नामान्तरण सं0 26 के द्वारा अवैधानिक हस्तान्तरण कर दिया एवं पुजारी मूल्यादास पुत्र छोटयादास जाति ब्राहमण निवासी उकरूंद से जरिये विक्रय पत्र नामान्तरण सं0 26 जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के खाता संख्या 13 की प्रविष्टि से अप्रार्थी देवपाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी उकरूंद के नाम दर्ज कर दिया गया।
6. चरण नं0 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार मूर्ति में निहित है, इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः 3/606/रेवेन्यू जी0आर04/76 दिनांक 3 मार्च 1977 के तहत मद नंबर 5 में हुआ हस्तान्तरण अवैध है और ऐसे हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था।

...निरन्तर 2 पर

रैफरेन्स संख्या 02/2017
सरकार बनाम देवपाल

7. अवैध हस्तान्तरण होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत नामान्तरण सं0 26 जमाबंदी संवत 2036 से 2039 की खाता सं0 13 की प्रविष्टि निरस्त योग्य है।

अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से हम गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बदनपुरा के खतौनी बंदोबस्त 2050 से 2069 में माफी मंदिर श्री सीतारामजी व एतमाम पुजारी मूल्यादास पुत्र छोटयादास जाति ब्राहमण साकिन उकरूंद की खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। नामान्तरण सं0 26 से अवैधानिक हस्तान्तरण कर पुजारी मूल्यादास पुत्र छोटयादास साकिन उकरूंद से जरिये विक्रय पत्र नामान्तरण सं0 26 जमाबंदी संवत 2036 से 2039 की प्रविष्टि से अप्रार्थी देवपाल पुत्र बीरबल मीना निवासी उकरूंद के नाम दर्ज कर दी गई। कानूनन माफी मंदिर की भूमि दीगर व्यक्तियों के नाम नहीं की जा सकती है। भूमि की खातेदारी मंदिर माफी से हजफ कर अन्य के नाम दर्ज हो गई। तत्पश्चात भूमि का दीगर व्यक्ति को विक्रय पत्र के द्वारा हस्तान्तरण हो गया। पूर्व पारित कार्यवाही अवैध व प्रभावशून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे। संबंधित पक्षकार दिनांक 25.10.2023 को माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 02 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा